## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

### (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 2018

**सा.का.नि. 171**.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में नर्सिंग अर्दली के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: —
- (क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग नर्सिंग अर्दली, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 है।
- (ख) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- **2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**: पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4.** निरर्हता—वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

- 5. शिथिल करने की शिक्त :—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- **6.** व्यावृति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
				पद		
1	2	3	4	5	6	7
नर्सिंग अर्दली	1* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000- 56,900 : रु.)	लागू नहीं होता	18 वर्ष और 25 वर्ष के बीच  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त	<ul> <li>आवश्यक:</li> <li>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य</li> <li>(ii) सेंट जान्स एम्बुलेंस एसोसिएशन जैसे किसी सरकारी सहबद्ध संगठन द्वारा जारी प्राथमिक उपचार या समतुल्य के बारे में परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाणपत्र।</li> <li>(iii) सरकारी या प्राइवेट अस्पताल या परिचर्या गृह में परिचर्या का एक वर्ष अनुभव रखता हो,</li> </ul>

		करने के लिए नियत की गई
		अंतिम तारीख होगी । (न कि
		वह अंतिम तारीख जो असम,
		मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
		त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-
		कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड
		हिमाचल प्रदेश के लाहौल और
		स्पीति जिले तथा चंबा जिले
		के पांगी उपखंड, अंडमान और
		निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
		अभ्यार्थियों के लिए विहित की
		गई है)।

#### वांछनीय :

ऐसे किसी संगठन में दो वर्ष का अनुभव जहां सेवानिवृत्त या सेवारत ज्येष्ठ अधिकारियों के लिए ऐसा अतिथि गृह है जिसमें अतिथि भारी संख्या (औसतन 30 से अधिक) से शासकीय कार्य के लिए ठहरते हों जैसाकि विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आदि के मामलों में होता है।

टिप्पण-1: अर्हताएं, अन्यथा अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण-2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए	परिवीक्षा की	भर्ती की पद्धति :	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति	यदि भागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी	भर्ती करने में किन
जाने वाले	अवधि यदि	भर्ती सीधे होगी या	या आमेलन द्वारा भर्ती	संरचना	परिस्थितियों में
व्यक्तियों के	कोई हो	प्रोन्नति द्वारा या	की दशा में वे श्रेणियां		संघ लोक सेवा
लिए विहित		प्रतिनियुक्ति या	जिनसे प्रोन्नति या		आयोग से परामर्श
आयु और		आमेलन द्वारा तथा	प्रतिनियुक्ति या		किया जाएगा
शैक्षिक		विभिन्न पद्धतियों	आमेलन किया जाएगा		
अर्हताए <del>ं</del>		द्वारा भरी जाने			
प्रोन्नत		वाली, रिक्तियों की			
व्यक्तियों की		प्रतिशतता			
दशा में लागू		71031001			
होंगी या नहीं					
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह "ग" विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि	लागू नहीं होता
				के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	
				निम्नलिखित होंगे:-	
				   संयुक्त सचिव (प्रशासन), : अध्यक्ष	
				संघ लोक सेवा आयोग	
				अवर सचिव (साधारण), : सदस्य	
				संघ लोक सेवा आयोग	
				अवर सचिव (प्रशासन), : सदस्य	

[फा. सं. 39021/06/2014-स्था. (बी)]

प्रमोद कुमार जायसवाल, अवर सचिव

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

#### (Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 11th June, 2018

- **G.S.R.** 171.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Orderly in the Office of the Union Public Service Commission, namely:-
- 1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Union Public Service Commission, Nursing Orderly, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.
- 6. **Saving.** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

# **SCHEDULE**

Name	Number	Classifi-	Level	Whether	Age limit for direct	Educational and other	Whether age
of the	of post	cation	in the	selection	recruits	qualifications required for	and
post			pay	post or		direct recruits	educational
			matrix	non-			qualifications
				selection			prescribed
				post			for direct
							recruits will
							apply in the
							case of
							promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nursing	1*	General	Level-1	Not	Between 18 and	Essential:	Not
Orderly.	(2018)		(Rs.18000	applicable.	25 years of age.	(i) 10 <sup>th</sup> class pass or	applicable.
		Service,	- 56900)			equivalent qualification from a	
	*Subject	Group 'C',	in the pay		(Relaxable for	recognised Board.	
	to	Non-	matrix.		Government	(ii) Certificate of passing	
	variation	Gazetted,			Servants up to	examination regarding first aid	
	dependent	Non-			the age of 40	or equivalent issued by any	
	on	Ministerial.			years in	Government affiliated	
	workload.				accordance with	organisation like St. John's	
					the instructions or	Ambulance Association.	
					orders issued by	(iii) Having one year	
					the Central	experience of nursing in	
					Government)	Government or private	
					,	hospital or nursing home.	
					<b>Note</b> : The crucial		
					date for	Desirable:	
					determining the	Two years working experience	
					age limit shall be	in an organisation where a	
					the closing date	guest house for retired or	
					for the receipt of	serving senior officers with	
					applications from	large number of guests (more	
					candidates in	than 30 on an average) stay	
					India (and not the	for official work as in the case	
					closing date	of Universities, Indian Institute	
					prescribed for	of Technologies, etc.	
					those in Assam,	<b>Note 1</b> : The qualifications are	
					Meghalaya,	relaxable at the discretion of	
					Arunachal	the Central Government in	
					Pradesh,	case of candidates otherwise	
					Mizoram,	well qualified.	
					Manipur,	Note 2: The qualification	
					Nagaland,	regarding experience is	
					-	relaxable at the discretion of	
					Tripura, Sikkim, Ladakh Division	the Central Government in the	
						l	
					of Jammu and	case of candidates belonging	
					Kashmir State,	to the Other Backward	
					Lahaul and Spiti	Classes, Scheduled Castes or	
					District and Pangi	Scheduled Tribes if any stage	
					Sub-Division of	of selection the Central	
					Chamba District	Government is of the opinion	
					of Himachal	that sufficient number of	
					Pradesh,	candidates from these	
					Andaman and	communities possessing the	
					Nicobar Islands	requisite experience are not	
					or Lakshadweep).	likely to be available to fill up	
						the vacancy reserved for	
						them.	

Period of	Method of	In case of	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in
probation,	recruitment,	recruitment	what is its composition	which Union Public
if any	whether by	by promotion		Service Commission
	direct	or deputation		to be consulted in
	recruitment or	or absorption,		making recruitment
	by promotion	grades from		
	or by	which		
	deputation or	promotion or		
	absorption	deputation or		
	and	absorption is		
	percentage of	to be made		
	the vacancies			
	to be filled by			
	various			
	methods			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two	By direct	Not	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for	Not applicable.
years.	recruitment.	applicable.	considering confirmation) consisting of :-	
			1. Joint Secretary (Administration), - Chairman;	
			Union Public Service Commission	
			2. Under Secretary (General), - Member;	
			Union Public Service Commission	
			3. Under Secretary (Administration), - Member.	
			Union Public Service Commission	

[F.No. 39021/06/2014-Estt.(B)] PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

(स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 5 जून, 2018

सा.का.िन. 172.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में तकनीकी अधिकारी [आई.एच.आर. सूचना पोर्टल (आई.टी. परामर्शदाता)] तकनीकी अधिकारी (योजना) और तकनीकी अधिकारी (वेक्टर नियंत्रण) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तकनीकी अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम–2018 हैं
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. **लागू होना** :— ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।
- 3. **पद—संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैदिक्स में स्तर**:—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैदिक्स में स्तर या उक्त पदों के साथ संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि— भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त / पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता— वह व्यक्ति—
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;